



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)


क्रमांक / नामांकन / 2022 / 4149

दिनांक 07/10/2022

आदेश

विश्वविद्यालय की नामांकन अधिसूचना क्रमांक/नामांकन/2022/1395 दिनांक 18 जुलाई 2022 के बिंदु क्रमांक 15 में, तदानुसार परिशिष्ट A, B में गैप प्रमाण पत्र (GAP CERTIFICATE) संस्थाओं द्वारा जमा करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 29/09/2022 को निर्णय लिया गया है कि इस विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन के लिए गैप प्रमाण पत्र (GAP CERTIFICATE) की अनिवार्यता को नामांकन प्रक्रिया से विलोपित किया जावे।


उक्त निर्णय के आधार पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में गैप प्रमाण पत्र (GAP CERTIFICATE) संस्थाओं/छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। यह निर्णय नामांकन सत्र जुलाई 2022 से लागू होगा।


(डॉ. अविनाश बाजपेयी)
कुलसचिव

पृ.क्र./नामांकन/2022/4150
प्रतिलिपि :-

दिनांक 07/10/2022

1. माननीय कुलपति एवं कुलसचिव को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
2. डीन (अकादमिक)।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. निदेशक, ए.एस.आई., मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्ताधिकारी, मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
7. दतिया परिसर, शीवा परिसर एवं खंडवा परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ हेतु।
9. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/नामांकन) मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ हेतु।
10. सहायक कुलसचिव (अकादमिक), मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
12. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.mcu.ac.in पर ऑनलाइन प्रकाशित)।


(डॉ. अविनाश बाजपेयी)
कुलसचिव